Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में कार्यालय तहसीलदार, आमेर का सहायक प्रशासनिक अधिकारी 27 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *03 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई द्वारा आज गुरूवार को आमेर, जयपुर में कार्यवाही करते हुये चन्द्रशेखर प्रसाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, आमेर, जयपुर को परिवादी से 27 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–द्वितीय जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी भूमि से कब्जा हटवाने की एवज में चन्द्रशेखर प्रसाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, आमेर, जयपुर द्वारा अपने एवं सुभाष सिंह सेपट, प्रभारी तहसीलदार, आमेर के लिये 50 रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी स्पेशल यूनिट–द्वितीय जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष मील** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये चन्द्रशेखर प्रसाद पुत्र श्री हनुमान प्रसाद बैरवा निवासी प्लॉट नं0 49, जादौन नगर–ए, महारानी फार्म, पुलिस थाना शिप्रापथ, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, आमेर, जयपुर को परिवादी से स्वयं के लिये 7 हजार रूपये तथा आरोपी सुभाष सिंह सेपट, प्रभारी तहसीलदार, आमेर के लिये 20 हजार रुपये, कुल **27 हजार रूपये रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में सुभाष सिंह सेपट, प्रभारी तहसीलदार, आमेर की संलिप्तता के संबंध में जांच की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।